भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5599

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

वैकल्पिक विवाद समाधान

5599. श्री विष्णु दत्त शर्मा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए, विशेषकर मध्य प्रदेश में, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा दे रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के कटनी और पन्ना जिलों सहित खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एडीआर केंद्र स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं तथा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : पिछले दशक के दौरान, भारत सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के क्षेत्र में विभिन्न पहल की हैं। सरकार मध्यस्थता और मध्यकता सहित एडीआर तंत्र को बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये तंत्र कम विरोधाभासी हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं। इन तंत्रों को सुदृढ़ करने और उन्हें अधिक प्रभावोत्पादक और त्वरित बनाने के लिए विभिन्न विधायी हस्तक्षेप किए गए हैं। एडीआर तंत्र के उपयोग से न्यायपालिका पर भार कम होने और इस प्रकार समय पर न्याय प्रदान किये जाने की भी उम्मीद है। इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा वर्षों से की गई प्रमुख पहलों में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 जैसे विद्यान अधिनियमों में संशोधन और भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 और मध्यकता अधिनियम, 2023 जैसे नए विधियों का अधिनियमन शामिल है। तथापि, मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य में सरकार द्वारा विशिष्ट पहल नहीं की गई है।

****